न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 49/2019 (2019/00080) वाद पत्र

1. मदनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा — वादी

बनाम

1. अभिषेक पिता ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. सुषमा बेवा ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. तनवी पुत्री ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. नुपूर पुत्री ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. वल्लभराज पिता रतन लाल तिवारी निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6. सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल छीपा निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 टी0 एक्ट

1—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादी

1—हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 29.08.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण सामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 2 में अकिंत आराजी संख्या 32 रकबा 0.46 हैक्ट. आराजी संख्या 33 रकबा 0.40 हैट. आराजी संख्या 53 रकबा 0.50 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.36 हैक्ट. भूमिया स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 06.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 32/1 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 33/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 53/1 रकबा 0.16 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि पीरदान पिता चमनदान चारण सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसके हिस्से में उक्त आराजी आती है पीरदान के द्वारा जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से वादी मदनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी थला के द्वारा क्रय करने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रेकार्ड में पीरदान के बजाय मदनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी थला के नाम की जावे तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 32/2 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 33/2 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 53/2 रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि अभिषेक पिता ताराचन्द सुषमा बेवा ताराचन्द तनवी, नुपुर पुत्रीया ताराचन्द जैन वल्लभराम पिता रतनलाल तिवारी सा0 ब्यावर सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल छीपा सा0 आसीन्द खातेदार तथा आराजी संख्या 33/3 रकबा 0.03 है0 सामलाती बदस्तुर रास्ता हेतु रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। एवं आराजी संख्या 32 में वादी के हिस्से में आवागमन हेतु मौके पर खड्डा है जिसको प्रतिवादी द्वारा मिट्टी भरवाकर समतल करने का समझौता किया गया जिसके अनुसार वादी एंव प्रतिवादी दोनो इस समझौते पर पांबद रहेंगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13-2-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 49/2019 (2019/00080) वाद पत्र

1. मदनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अभिषेक पिता ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. सुषमा बेवा ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. तनवी पुत्री ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. नुपूर पुत्री ताराचन्द जैन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5. वल्लभराज पिता रतन लाल तिवारी निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6. सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल छीपा निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 32/1 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 33/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 53/1 रकबा 0.16 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि पीरदान पिता चमनदान चारण सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है जिसके हिस्से में उक्त आराजी आती है पीरदान के द्वारा जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से वादी मदनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी थला के द्वारा क्रय करने से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रेकार्ड में पीरदान के बजाय मदनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी थला के नाम की जावे तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 32/2 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 33/2 रकबा 0. 24 है0, आराजी संख्या 53/2 रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि अभिषेक पिता ताराचन्द सुषमा बेवा ताराचन्द तनवी, नुपुर पुत्रीया ताराचन्द जैन वल्लभराम पिता रतनलाल तिवारी सा0 ब्यावर सत्यनारायण पिता मिश्रीलाल छीपा सा0 आसीन्द खातेदार तथा आराजी संख्या 33/3 रकबा 0.03 है0 सामलाती बदस्तुर रास्ता हेतु रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। एवं आराजी संख्या 32 में वादी के हिस्से में आवागमन हेतु मौके पर खड्डा है जिसको प्रतिवादी द्वारा मिट्टी भरवाकर समतल करने का समझौता किया गया जिसके अनुसार वादी एंव प्रतिवादी दोनो इस समझौते पर पांबद रहेंगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.02.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

13-2-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: